an>

title: Issue regarding ban on purchase of wheat from Punjab and Haryana by FCI.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एफ.सी.आई. द्वारा हरियाणा और पंजाब में गेहूं की खरीद पर रोक लगाने की खबर की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं। पिछले साल एफ.सी.आई. ने हरियाणा से 80 लाख टन गेहूं की खरीद की थी और इस साल 90 लाख टन गेहूं की खरीद का अनुमान लगाया जा रहा था।

इस दौरान एफ.सी.आई. को लेकर "शान्ता कुमार कमेटी" का गठन अगस्त में हुआ, जिसने 21 जनवरी को प्रधानमंत्री जी को अपनी रिपोर्ट दी। जिसमें यह कहा गया है कि जो सरप्लस स्टेट्स हैं - हरियाणा और पंजाब, उनसे गेहूं की खरीद न की जाय। उस रिपोर्ट के बाद 18 फरवरी को जनरल मैनेजर, नॉर्थ, एफ.सी.आई., पालीवाल जी का एक लेटर हरियाणा और पंजाब को आया, जिसमें हरियाणा से एफ.सी.आई. द्वारा गेहूं खरीद पर बिल्कुल रोक लगाने की बात कही गयी। पंजाब में एफ.सी.आई. कुल 50 प्रतिशत गेहूं की खरीद करने जा रही है। मैं समझता हूं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि उन्होंने देश की फूड सिक्योरिटी बहाल करने का काम कई सालों तक किया है। सरकार इस पर तुरन्त कार्रवाई करे और एफ.सी.आई हरियाणा के किसान के गेहूं के एक-एक दाने की खरीद करे।